—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 10 / 2019

उनवान

रामकरण बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10

—: आदेश :— दिनांक :— 31.7.20

अधिवक्ता श्री सीताराम रावत ने प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र नवीन रास्ता प्राप्त कने के लिये पेश किया है। किन्तु आराजी मुतनाजा आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रार्थीगण के पूर्वजों की आवंटनशुदा है। जिसका दुरूस्ती का वाद भी विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित करावे।

अधिवक्ता प्रार्थी / अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि पर आने—जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने धारा 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत कोई भी सहखातेदार अन्य कोई वैकलिपिक साधन नही होने पर अपनी जोत तक पहुचने के लिये रास्ते हेतु आवेदन कर सकता है। मान्य न्यायालय द्वारा रास्ता उपलब्ध कराने पर वह रास्ता सभी सहखातेदारों के काम आता है। उक्त आवेदन पत्र प्रकरण में विलम्ब करने हेतु पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने धारा 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 का प्रार्थना पत्र ग्राम हाथीपट्टा के सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 0.10 में से रास्ता प्राप्त करने हेतु पेश किया है। अधिवक्ता श्री सीताराम रावत द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी उनके पूर्वजों को आवंटित हुयी थी जिसका अन्य वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। किन्तु अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे स्पष्ट हो कि आराजी मुतनाज़ा उनके पूर्वजों को आवंटित हुयी हो। अपने प्रार्थना पत्र में हाजा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की मुकदमा संख्या व उनवान भी नही बताया है। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा सिवायचक है जिस पर किसी भी पक्षकार का कोई हक व अधिकार निहित नही है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत कोई कथन अंकित नही है। प्रार्थी ने उक्त आराजी में से नवीन रास्ता चाहा है। यदि प्रार्थी को नवीन रास्ता दिया जाता है तो वह रास्ता भी सिवायचक खाते में ही दर्ज होगा। नवीन पक्षकारों का प्रकरण में किस प्रकार हित निहित है यह वह स्पष्ट नही कर सके है।

ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 10 / 2019

उनवान

रामकरण पुत्र पांचू जाति रावत नि0 हाथीपट्टा नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 4.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खाता नम्बर 147 / 134 व हाल खसरा नम्बर 283, 284, 285 कुल रकबा 1.18 हेक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। किन्तु प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी खेतों पर आने–जाने के लिये सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 0.10 का उपयोग करता है। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है।

अतः प्रार्थी को सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 0.10 में से 30 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्तमान में आवागमन हेतु सिवायचक आराजी का उपयोग किया जा रहा है। अन्य कोई रास्ता मौके व राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 282 में से 4 मीटर चौडा व 60 मीटर लम्बा रास्ता चाहा गया है। सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 282 में 60 मीटर लम्बा रास्ता आगे गवाई रास्ते में मिलता है जिस पर सीमेंट के ब्लॉक लगाये हुये है। चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 4740 / रूपये बनती है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपने खेतों पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 283, 284 व 285 प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम हाथीपट्टा के सवायचक खसरा नम्बर 282 में सें 4 मीटर चौडा व 60 मीटर लम्बा कुल 240 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 9480/ अक्षरे नो हजार चार सौ अस्सी रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.08.24 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: